पत्र संख्या–14/डी0एल0ए0 सुपौल (थाना भवन)–142/2013– पटना–15, दि0– 17/12/123

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

संख्या.........–1849/रा० पटना दिनांकः– 18-07-13

अधिसूचना

चूँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा–मंशापुर थाना सं0–33 परगना– धपहर, थाना– राधोपुर, अंचल–राधोपुर, जिला– सुपौल, में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात् थाना भवन करजाईन की स्थापना के लिए पुलिस महानिरीक्षक, बिहार, पटना के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिए उपरोक्त ग्राम–मंशापुर थाना– नं0 33 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 02 डि0 300 वर्गकड़ी (दो डी0 तीन सौ वर्गकड़ी) मात्र है, जिसका पूर्ण/अंश खेसरा निम्न प्रकार हैः–

पूर्ण खेसरा संख्याः– शून्य

अंश खेसरा संख्याः– 268

चौहद्दीः–
उत्तरः– खेसरा संख्याः– 267

दक्षिणः– खेसरा संख्याः– 268 अंश

पूरबः– खेसरा संख्या– मौजा–करजाईन

पश्चिमः– खेसरा संख्या– 264 पक्की रोड़

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबद्ध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे पुलिस अधीक्षक, सुपौल के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चित किया है कि परियोजना की शीध्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा (5A) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

समाहर्त्ता,
सुपौल।

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

संचिका संख्या–14/डी0एल0ए0 सुपौल (थाना भवन)–142/2013– पटना–15, दि0–

ज्ञापांक:– 1849 /रा0 दिनांक:– 18-07-13

प्रतिलिपि:–

- तीन अतिरिक्त प्रतियॉ सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों– जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाि ात संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सुपौल को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पॉच–पॉच प्रतियॉ इस विभाग को एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, सुपौल को यथा शीध्र भेजने हेतु प्रेषित।
- समाहर्त्ता, सुपौल, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सुपौल एवं पुलिस अध्यक्ष, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/13

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।